



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.  
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited  
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2024/HQ/Admin/RTI-1078

New Delhi: 28.11.2024

श्री अशोक जैन महात्मा  
हाई स्कूल रोड मैन बाजार  
रानी स्टेशन, जिला-पाली  
राजस्थान - 306115  
मोबाइल-9309384616

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।


संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 28.10.2024, जो इस कार्यालय में दिनांक 04.11.2024 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा  
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,  
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,  
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 04 पृष्ठ

  
(एस. के. पण्डा)

अपर महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)  
9717636811

क्रमांक :- अज/मा0संसा0/आर.टी.आई.-2024/

दिनांक : 28.11.2024

निमित्त :- श्री एस. के. पाण्डा,

अपर महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)

कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली-110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI No.1078) के बाबत।

प्रसंग :- कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई-मेल दिनांक 05.11.24 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक ई-मेल द्वारा आवेदनकर्ता श्री अशोक जैन महात्मा निवासी-हाई स्कूल रोड, मेन बाजार, रानी स्टेशन 306115 जिला (पाली) द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI No.1078) प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार चाही गई सूचना को संबंधित विभाग को भिजवाया गया, जिसका बिन्दुवार जवाब/सूचना/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है, जो विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर/प्रत्युत्तर
1	रानी शहर स्थित RUB-75 में से C.C.T.V. हेतु निकाली जाने वाले केबल से संबंधित आवेदन पत्र, जमा की गई राशि का विवरण स्वीकृति पत्र आदि ?	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रानी खुर्द जिला पाली द्वारा उनके पत्र संख्या-न.पा.रा./स्टोर शाखा/2022-23/8292 दिनांक 29.03.2023 (संलग्न) के द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केवल सीसीटीवी केमरा केबल निकालने, लगाने हेतु अनुमति चाही गई थी जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या अजमेर/इंजी/एलसी-75 दिनांक 05.04.2023 (संलग्न) के द्वारा जनसुविधा हेतु थी।
2	रानी शहर स्थित RUB-75 में से C.C.T.V. हेतु निकाली गई केबल के साथ किसी अन्य व्यावसायिक केबल के होने के सम्बन्ध में DFC विभाग द्वारा कि गई जांच व C.C.T.V. केबल के साथ किसी अन्य व्यावसायिक केबल का होना क्या नियमानुसार है ?	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रानी खुर्द जिला पाली द्वारा उनके पत्र संख्या-न.पा.रा./स्टोर शाखा/2022-23/8292 दिनांक 29.03.2023 (संलग्न) के द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केवल सीसीटीवी केमरा केबल निकालने, लगाने हेतु अनुमति चाही गई थी जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या अजमेर/इंजी/एलसी-75 दिनांक 05.04.2023 (संलग्न) के द्वारा जनसुविधा हेतु थी व C.C.T.V. के साथ किसी अन्य व्यवसायिक केबल के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।
3	रानी शहर स्थित RUB-75 में से निकाली गई B.S.N.L., Railtel व अन्य व्यवसायिक केबल के एवेज में DFC द्वारा लिया गया शुल्क व बकाया राशि का विवरण ?	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रानी खुर्द जिला पाली द्वारा उनके पत्र संख्या-न.पा.रा./स्टोर शाखा/2022-23/8292 दिनांक 29.03.2023 (संलग्न) के द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केवल सीसीटीवी केमरा केबल निकालने, लगाने हेतु अनुमति चाही गई थी जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या अजमेर/इंजी/एलसी-75 दिनांक 05.04.2023 (संलग्न) के द्वारा जनसुविधा हेतु थी। जिसके लिए इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है।
4	रानी शहर स्थित RUB-75 में हो रहे रिसाव में प्रार्थी के पत्र दिनांक 24.07.2023 के बाद की गई कार्यवाही की जानकारी ?	इस कार्यालय द्वारा आर.यू.बी. में हो रहे रिसाव के लिए ग्राउटींग (दरार भराई) कार्य करवाया जा चुका है, जिससे रिसाव काफी हद तक कम हो गया है तथा रिसाव समस्या कम करने के लिए आगे भी और ग्राउटींग (दरार भराई) कार्य करवाया जायेगा।

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना/प्रत्युत्तर अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

इसे महाप्रबन्धक/समन्वय, अजमेर का अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(नवीन कुमार)

उप मुख्य परि0प्रबन्धक/इंजी/मा0संसा0  
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

नोट

श्री अणोक जैन महात्मा की आर.टी.आई. पत्र दिनांक 28.10.2024 का जवाब पेरावाइज निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	आईटम संख्या	मांगी गई जानकारी (प्रश्न)	दी गई जानकारी (उत्तर)
01	01	रानी शहर स्थित RUB-75 में से C.C.T.V. हेतु निकाली जाने वाले केबल से संबंधित आवेदन पत्र, जमा कि गई राशि का विवरण, स्वीकृती पत्र आदि।	अधिषाषी अधिकारी, नगरपालिका, रानी खूद, जिला-पाली द्वारा उनके पत्र संख्या-न.पारा. /स्टोर शाखा/2022-23/8292 दिनांक 29.03.2023 (संलग्न) के द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगज रखते हुए केवल सीसीटीवी केमरा केबल निकालने, लगाने हेतु अनुमति चाही गई थी, जो कि इस कार्यालय के पत्र पत्र सं- अजमेर/इंजी./एलसी-75 दिनांक 05.04.2023 (संलग्न) के द्वारा जनसुविधा हेतु थी।
02	02	रानी शहर स्थित RUB-75 में से C.C.T.V. हेतु निकाली गई केबल के साथ किसी अन्य व्यवसायिक केबल के होने के सम्बन्ध में DFC विभाग द्वारा कि गई जाँच व C.C.T.V. केबल के साथ किसी अन्य व्यवसायिक केबल का होना क्या नियमानुसार है।	अधिषाषी अधिकारी, नगरपालिका, रानी खूद, जिला-पाली द्वारा उनके पत्र संख्या-न.पारा. /स्टोर शाखा/2022-23/8292 दिनांक 29.03.2023 (संलग्न) के द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगज रखते हुए केवल सीसीटीवी केमरा केबल निकालने, लगाने हेतु अनुमति चाही गई थी, जो कि इस कार्यालय के पत्र पत्र सं- अजमेर/इंजी./एलसी-75 दिनांक 05.04.2023 (संलग्न) के द्वारा जनसुविधा हेतु थी। व C.C.T.V. के साथ किसी अन्य व्यवसायिक केबल के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।
03	03	रानी शहर स्थित RUB-75 में से निकाली गई B.S.N.L., Railtel व अन्य व्यवसायिक केबल के एवज में DFC द्वारा लिया गया शुल्क व बकाया राशि का विवरण।	अधिषाषी अधिकारी, नगरपालिका, रानी खूद, जिला-पाली द्वारा उनके पत्र संख्या-न.पारा. /स्टोर शाखा/2022-23/8292 दिनांक 29.03.2023 (संलग्न) के द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगज रखते हुए केवल सीसीटीवी केमरा केबल निकालने, लगाने हेतु अनुमति चाही गई थी, जो कि इस कार्यालय के पत्र पत्र सं- अजमेर/इंजी./एलसी-75 दिनांक 05.04.2023 (संलग्न) के द्वारा जनसुविधा हेतु थी। जिसके लिए इस विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है।
04	04	रानी शहर स्थित RUB-75 में हो रहे रिसाव में प्रार्थी के पत्र 24.07.2023 के बाद कि गई कार्यवाही कि जानकारी	इस कार्यालय द्वारा आर.यू.बी. में हो रहे रिसाव के लिए ग्राउटींग (दरार भराई) कार्य करवाया जा चुका है, जिससे रिसाव काफी हद तक कम हो गया है तथा रिसाव समस्या कम करने के लिए आगे भी और ग्राउटींग (दरार भराई) कार्य करवाया जाएगा।

VIVEK  
KALA

Digitally signed  
by VIVEK KALA  
Date: 2024.11.22  
17:33:37 +05:30

# कार्यालय नगर पालिका मण्डल रानी खुर्द, जिला- पाली, राज.

दिनांक 29/03/2023

क्रमांक / न.पा.रा. / स्टोर शाखा / 2022-23 / 8292


प्रेषिति :- श्रीमान उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक-11 महोदय,  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,  
अजमेर।

विषय :- फाटक संख्या 75 रानी पर बनाये गये आर.यू.बी. के अन्दर से सी.सी.टी.वी. केमरा केबल निकालने की स्वीकृति बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि पालिका द्वारा आमजन की सुरक्षा को देखते हुये पालिका क्षेत्र में मुख्य मार्गों व सडकों व चौराहों पर सी.सी.टी.वी. केमरे लगाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित कर संवेदक को कार्य करने हेतु आदेश जारी किया जा चुका हैं। नगर पालिका रानी क्षेत्र को दो भागों में रेल्वे लाईन द्वारा विभाजित किया हुआ हैं। जिससे मैन बाजार व प्रताप बाजार दोनों क्षेत्र रानी के मुख्य बाजार हैं। जिससे सी.सी.टी.वी. केमरा की केबल डालने हेतु आपके विभाग द्वारा निर्मित फाटक संख्या 75 पर बने आर.यू.बी. के अन्दर से उक्त केबल को निकाला जाना हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि आमजन सुरक्षा दृष्टिगत सी.सी.टी.वी. केमरा की केबल निकालने की स्वीकृति प्रदान करावें। ताकि कार्य पूर्ण हो सकें।



*[Signature]*  
अधिसापी अधिकारी  
नगर पालिका, रानी खुर्द  
दिनांक 29/03/2023

क्रमांक / न.पा.रा. / स्टोर शाखा / 2022-23 / 8292/8294

प्रतिलिपी सूचनार्थ :-

1. श्रीमान वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर महोदय (समन्वय) मण्डल अजमेर।

*Sr. Dev/w*  
*only*  
→ DFCC constructed ROB, PS, RUD's and  
these structures are to be seen by  
*IL*

*[Signature]*  
31/3/23

*[Signature]*  
उत्तम शर्मा

*[Signature]*  
31/3/23

*[Signature]*  
अधिसापी अधिकारी  
नगर पालिका, रानी खुर्द

*[Signature]*  
वरिष्ठ कार्यकारी/अधिसापी  
Sr. Executive/Civil  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अजमेर  
DFCCIL, Aimer

records  
*[Signature]*

क्रमांक :AII/EN/LC -7S

दिनांक 05.04.2023

प्रेषित

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका, रानी खुर्द  
जिला-पाली (राज.)

विषय :- फाटक संख्या-75 रानी पर बनाये गए आर.यू.बी. के अन्दर से सी.सी.टी.वी. केमरा केबल निकालने की स्वीकृति बाबत।  
संदर्भ :- आपका पत्रांक-न.पा.रा./स्टोर शाखा/2022-23-8292 दिनांक 29.03.2023 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा फाटक संख्या-75 रानी पर बनाये गए आर.यू.बी. के अन्दर से सी.सी.टी.वी. केमरा केबल निकालने की स्वीकृति चाही गई है।

अतः आपके उक्त कार्य से डीएफसी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(विवेक जल)  
उप मुख. परियोजना प्रबंधक / सिविल  
डीएफसीसीआईएल अजमेर

प्रतिलिपि-श्रीमान वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर महोदय (समन्वय) मण्डल, अजमेर।

एच.एम.ए. प्रो.एम.ए.

वरिष्ठ कार्यकारी / सिविल  
Sr. Executive / Civil  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अजमेर  
DFCCIL, Ajmer

कार्यालय नगर पालिका - रानी  
लोक सूचना अधिवाह अधिनियम 2005 के  
अन्तर्गत नगर पालिका के उपलब्ध रिकार्ड की  
जैसी है वैसी जारी की गई फोटो प्रति  
लोक सूचना अधिकारी  
अधिशाषी अधिकारी 21/10/24  
नगर पालिका - रानी खुर्द